

किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

◆ परिचय

भारत में किशोरों के अपराध की समस्या को गंभीरता से लेते हुए किशोरों के लिए एक विशेष न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है। यह व्यवस्था **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य अपराध करने वाले बच्चों को दंड देने के बजाय उन्हें सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनः स्थापित करने का अवसर देना है।

इसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु **किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board - JJB)** की स्थापना की गई है। यह एक **अर्ध-न्यायिक संस्था** है जो कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों (Children in Conflict with Law) के मामलों की सुनवाई और निर्णय करती है।

◆ किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना और कानूनी आधार

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 4 (Section 4) के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे के साथ वयस्कों की तरह न तो व्यवहार किया जाए और न ही सामान्य अदालत में उसकी सुनवाई हो।

◆ बोर्ड की संरचना (Composition of the Board)

एक किशोर न्याय बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं:

1. एक प्रधान मजिस्ट्रेट (Principal Magistrate):

- यह व्यक्ति एक न्यायिक अधिकारी होता है जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का होता है।

2. दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य:

- इनमें से कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है।
- ये सदस्य सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, बाल अधिकार, शिक्षा या किशोर कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं।

इन तीनों सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल **3 वर्ष** का होता है।

◆ बोर्ड के कार्य (Functions of the Board)

किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

1. कानून के साथ संघर्ष में बच्चों की सुनवाई करना:

- बोर्ड यह तय करता है कि बच्चा वास्तव में अपराध में संलिप्त था या नहीं।

2. बच्चे की उम्र का निर्धारण करना:

- यदि किसी व्यक्ति की आयु पर विवाद हो, तो बोर्ड उसकी उम्र की पुष्टि करता है।

3. न्यायिक प्रक्रिया में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना:

- बोर्ड का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास की दिशा में निर्णय लेना है।

4. मामले की प्रकृति तय करना (जघन्य, गंभीर, या साधारण अपराध):

- यदि अपराध **जघन्य (Heinous)** श्रेणी का है, और बच्चा 16-18 वर्ष का है, तो बोर्ड यह तय करता है कि उसे वयस्क अदालत में भेजा जाए या नहीं।

5. बालक को पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना:

- जैसे परामर्श, शिक्षा, स्किल ट्रेनिंग, सुधार गृह, या सामुदायिक सेवा।

6. मालूम करना कि बच्चे की अपराध में क्या भूमिका थी:

- क्या वह अकेला था, संगठित गिरोह में था, या कोई जबरदस्ती थी?

◆ कार्यप्रणाली और प्रक्रिया (Procedure of Board)

1. गोपनीयता (Confidentiality):

- सभी कार्यवाहियाँ बंद कक्ष में होती हैं। मीडिया को किशोर का नाम, फोटो या अन्य जानकारी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं होती।

2. अनौपचारिक माहौल:

- बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा अदालत से भयभीत न हो। इसलिए कार्यवाही को यथासंभव सरल और बच्चे के अनुकूल बनाया जाता है।

3. बिना वकील के भी सुनवाई:

- यदि बच्चा कानूनी सहायता का खर्च नहीं उठा सकता तो उसे **निःशुल्क विधिक सहायता** प्रदान की जाती है।

4. समयसीमा:

- किसी भी मामले का निपटारा 4 से 6 महीने की अवधि में किया जाना चाहिए।

5. जघन्य अपराध के मामलों में मूल्यांकन:

- बोर्ड एक "सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation Report)" के आधार पर यह निर्णय करता है कि क्या बच्चा सुधार की संभावना रखता है या नहीं।

◆ किशोरों के प्रति अपनाई जाने वाली कार्यवाही

बोर्ड अपराधी किशोरों को निम्नलिखित सुधारात्मक दंड दे सकता है:

- माता-पिता के संरक्षण में सौंपना
- सामुदायिक सेवा
- परामर्श और मार्गदर्शन
- नशा मुक्ति कार्यक्रम
- विशेष शिक्षण या कौशल प्रशिक्षण
- निरीक्षण गृह में रहना (किंतु अधिकतम 3 वर्ष तक)

बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे के पुनर्वास में शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सहयोग की भूमिका सुनिश्चित हो।

◆ किशोर न्याय बोर्ड का महत्व

1. बच्चों को दंडात्मक प्रक्रिया से बचाना:

- यदि बच्चे को वयस्कों की तरह जेल भेजा जाए तो उसका मानसिक और सामाजिक विकास प्रभावित होता है।

2. सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना:

- किशोर अवस्था लचीली होती है, और सही मार्गदर्शन से बच्चा अपराध छोड़ सकता है।

3. संविधानिक दृष्टिकोण:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(e) और 39(f) बच्चों को शोषण और उपेक्षा से बचाने की बात करता है, जिसे यह बोर्ड सुनिश्चित करता है।

4. मानवाधिकार की रक्षा:

- बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे के साथ गरिमा और सहानुभूति से व्यवहार हो।

◆ चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

1. संसाधनों की कमी:

- कई जिलों में बोर्ड के पास पर्याप्त परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, या सुधार सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

2. मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की कमी:

- निर्णय लेने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक होता है, जो अक्सर उपलब्ध नहीं होते।

3. प्रशिक्षण की आवश्यकता:

- बोर्ड के सदस्य विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को बाल मनोविज्ञान और किशोर कानून का पर्याप्त प्रशिक्षण मिलना चाहिए।

4. जघन्य अपराधों में वयस्क परीक्षण:

- इससे किशोर न्याय की मूल भावना 'सुधार' कमजोर होती है और कई बार बच्चों के साथ कठोरता हो जाती है।

◆ निष्कर्ष

किशोर न्याय बोर्ड भारतीय न्याय प्रणाली का एक संवेदनशील और विकासोन्मुखी अंग है जो बच्चों को अपराध की दुनिया से बाहर निकालने और उन्हें समाज के मुख्यधारा में पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बोर्ड ना केवल कानूनी कार्यवाही करता है, बल्कि बच्चों को एक **दूसरा मौका** देने का माध्यम बनता है।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार और समाज मिलकर इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएं, ताकि हर बच्चा — चाहे वह अपराध में संलिप्त रहा हो या नहीं — एक सुरक्षित, शिक्षित और गरिमामय जीवन जी सके।